

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2024/905

दिनांक: 07 मार्च 2024

प्राचार्य,
राजस्थान राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- विभागीय स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्थार्थ आदेशों की अक्षरशः अविलम्ब पालना हेतु।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह संज्ञान में आया है कि विभागीय स्थानान्तरण आदेश/कार्य व्यवस्थार्थ आदेशों के क्रम में कतिपय प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित शिक्षक/कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया गया है तथा कतिपय प्राचार्य स्वयं भी कार्यमुक्त नहीं हुये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्थार्थ आदेशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. स्थापना शाखा

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर